**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 455 OF 2015**

IN THE MATTER OF:
DR. DEVASHISH BHATTACHARYA ……APPLICANT
VERSUS
STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS. ……RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board	1-5
2.	**ANNEXURE NO. 1:** Copies of the minutes of meetings	6-12
3.	**ANNEXURE NO. 2:** A copy of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India's letter dated August, 2023 and 03.09.2024	13-14
4.	**ANNEXURE NO. 3:** The details of action taken against Petha units	15-18
5.	**ANNEXURE NO. 4:** The copy of the Power Availability Report	19
6.	**ANNEXURE NO. 5:** A copy of the information provided by Municipal Corporation	20-21

THROUGH

DATE: 05.11.2024
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,
NEW DELHI-110021
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 455 of 2015

<u>IN THE MATTER OF</u>:

Dr. Devashish Bhattacharya ......Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh and others ......Respondent(s)

<u>Reply on behalf of the Respondent No.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 13.08.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi</u>

I, Dr. Vishwanath Sharma S/o Late Dr. Manoranjan Sharma aged about 47 years do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the Regional Officer of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (here in after "UPPCB"), Agra. I say that I am fully conversant with the facts of the case and in the abovementioned capacity am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter "Hon'ble Tribunal") vide its Notice dated 24.01.2024 directs the respondents to file their reply/response in accordance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal.

3. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 13.08.2024 has passed the following direction:

"....5. *In view of the above order O.A. No. 455/2024 is restored to its original position.*

6. *****

7. *****

8. *Issue notice in the O.A. to the respondents. Applicant is*

> *directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing."*

4. That it is most respectfully submitted that in view of the order dated 23.07.2024 passed by the Hon'ble Supreme Court the present matter has been remanded back and restored to its original number.

5. That it is submitted that the Petha manufacturing is a cottage industry and using commercial gas as a fuel in making Petha sweets.

6. That it is pertinent to mention here that the Commissioner/ Chairman, Agra Division/Taj Trapezium Zone Authority, Agra in 56th meeting of the TTZ Authority dated 25.04.2022 has directed that it is the responsibility of a team constituted under the Additional City Magistrate (ACM) that no coal/coke should be used in the production of Petha under any circumstances. Similarly, regarding Tehsil it is a responsibility of the Sub-Divisional Magistrate (SDM) that coal/coke/leather/wood should not be used in the production of petha by petha units.

7. That it is also worthwhile to mention here that again in the 57th meeting of the TTZ Authority dated 10.08.2022 the Commissioner/Chairman, Agra Division/Taj Trapezium Zone Authority directed that District Magistrate, Agra to ensure that no coal/coke should be used in any condition in the production of petha. Similarly, in Tehsil it should be ensured by the SDM that coal/coke/leather/wood should not be used in the production of petha-by-petha units. Copies of the minutes of meetings are collectively being annexed herewith as **Annexure No.-1**.

8. That it is also necessary to submit here that all the air polluting industries, are operational either on Natural Gas/LPG/Electricity. Joint efforts are being made by the concerned departments to curb the industrial pollution, vehicular pollution, bio-mass and solid waste burning, construction and road dust etc. for improving the Ambient Air Quality in Taj Trapezium Zone, which is being monitoring by Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention & Control) Authority regularly.

9. That further it is also significant to mention here that in result to the efforts, in year 2023 Agra city has been awarded IInd (2nd) Prize Nationally in category-1 (more than 10 lac pollution) for taking air quality improvement measures under National Clean Air Programme (NCAP) by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and also in year 2024 Agra city awarded IIIrd (3rd) Prize Nationally in category-1 (more than 10 lac pollution) for taking air quality improvement measures under National Clean Air Programme (NCAP) by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. A copy of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India's letter dated August, 2023 and 03.09.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-2**.

10. That it is further submitted that the Hon'ble Supreme Court vide order dated 30.12.1996 in ***Writ Petition (Civil) No. 13381/198, M. C. Mehta versus Union of India and Ors.*** has passed the following directions: -

"Those industries which neither apply for gas connections nor for alternative industrial plot shall stop functioning with the aid of

coke/coal in the TTZ with effect from 30.04.1997. Supply of coke/coal to these industries shall be stopped forthwith. The District Magistrate and the Superintendent of Police shall have this order compiled with"

11. That in compliance with the above direction the Commissioner/Chairman, Agra Division/Taj Trapezium Zone Authority, Agra has issued the direction under Section-5 of Environment (Protection) Act, 1986 on 17.07.2018 to District Magistrates and Superintendent of Police, Agra, Firozabad, Mathura, Hathras, Etah and Aligarh regarding ban on the use of coal/coak/wood/dung cakes in all types of air quality units operating in the entire Taj Trapezium Zone. Regular inspections have being carried by the team constituted under concerned Additional City Magistrates (ACM). The details of action taken against Petha units are being attached herewith as **Annexure No.-3**.

12. That in compliance to the above order passed by the Hon'ble Supreme Court, currently foundries are using Natural Gas/Electricity as a fuel. Furthermore, article published in year 2014 in Journal of Civil Engineering and Environmental Technology regarding Environmental Management of Petha industry in Agra city which is approximately 10 years old. Presently, Petha units are using commercial gas for manufacturing of Petha Sweets.

    Furthermore, 24-hour electric supply is also being provided by the M/s Torrent Power Ltd. under Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. The copy of the Power Availability Report is being attached herewith as **Annexure No.-4**.

13. That it is submitted that as per the information provided by Municipal Corporation, a total daily average of 7500Kg generated Petha waste is collected through 04 Tata Ace Tempo and 01 Tipper daily from Petha units in total 100 wards under Municipal limits. 4300kg of Petha waste is sent to Naraich Gaushala and Qazihouse Bhagwan Talkies, operated by Agra Municipal Corporation within the municipal limits and also to Kanha Gaushala, Baipur, Agra for animal fodder and the remaining 3200Kg Petha waste is sent to the waste processing plant at Kuberpur, Agra. A copy of the information provided by Municipal Corporation is being attached herewith as **Annexure No.-5**.

14. That the contents of this reply are correct to the best of my knowledge and belief on the basis of official records and the annexures enclosed with the present affidavit are true and correct copies of the respective originals.

15. That the above reply of Respondent No.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Agra on this 04thday of November, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Annexure-1

174

(... बैठक दि0 25.04.22 (56वीं) के कार्यवृत्त ...)

(2) <u>पेठा इकाइयों के स्थानान्तरण एवं पेठा इकाइयों में कोल/कोक के उपयोग पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में</u>–परियोजना प्रबन्धक, विश्व बैंक इकाई–प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा शहर के ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु तैयार की गयी रू0 667.30 करोड़ की लागत की परियोजना की पी0एफ0आर0 को आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा के स्तर से पत्र दिनांक 14.03.2022 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जा चुका है। ट्रांस यमुना क्षेत्र के पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में तैयार की गयी परियोजना पूर्व में अमृत योजना के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी थी किन्तु अपरिहार्य कारणोंवश परियोजना स्वीकृत नहीं हो सकी है। उक्त परियोजना अमृत योजना के अगले चरण (ट्रंच) में प्रस्तुत की जायेगी।

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय 11 पेठा इकाइयॉं कोयले से संचालित पायी गयीं, जिन्हें टीम द्वारा मौके पर सील करते हुये, भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया गया है। पेठा निर्माण इकाईयों में कोल/कोक/लैदर/लकड़ी का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित कराने हेतु शहरी क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नामित कर सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0 की संयुक्त टीम बनाकर पेठा निर्माण इकाईयों के विरूद्ध प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करायी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोल/कोक/लैदर/लकड़ी के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित कराया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि पेठा इकाइयों में कोयला पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, आगरा विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित थानों के पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम का गठन कर लगातार पेठा कारखानों/भट्टियों की सीलिंग/ध्वस्तीकरण एवं जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 04.04.2022 को किये गये औचक निरीक्षण के समय 05 इकाईयों में पेठा उत्पादन में कोयले का प्रयोग होता पाया गया, जिसे मौके पर गठित संयुक्त टीम द्वारा सील करने की कार्यवाही की गयी। उक्त के अतिरिक्त थाना डौकी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नगरीया, तहसील फतेहाबाद में बड़े पैमाने पर कोयले से पेठा उत्पादन की सूचना प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी फतेहाबाद को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 11.04.2022 को ग्राम नगरीया में भवन स्वामी श्री सत्यभान पुत्र श्री रामदास के परिसर में कुल 02 भट्ठी एवं श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री साहब सिंह के परिसर में कुल 02 भट्ठी, जो लकड़ी से संचालित पायी गयी, का ध्वस्तीकरण करते हुये परिसर को सील कर दिया गया है।

पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बल्केश्वर स्थित मै0निर्मल ट्रैडर्स, 32/164/2, लाल मस्जिद बल्केश्वर, थाना कमला नगर, आगरा की जॉच करने पर पाया गया कि निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व0 मुन्नीलाल जैन ने करीब 04 वर्ष पूर्व कोयला का भण्डारण/बिक्री का काम बन्द कर दिया गया है, लाल मस्जिद निवासियों के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में इस क्षेत्र में कोयला डिपो नहीं है और न ही इस क्षेत्र में कोयला की बिक्री व भण्डारण होता है।

श्री केशो मेहरा, गैर–सरकारी, सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि कालिन्दी विहार योजना में पेठा इकाइयों का स्थानान्तरण उचित है लेकिन सर्वप्रथम कालिन्दी विहार में गंगाजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि पेठा इकाइयॉं स्वतः अपने व्यवसाय कालिन्दी विहार योजना में स्थानान्तरित कर सकें।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गठित टीम के द्वारा पेठा कारखानों/भट्ठियों में कोयले का प्रयोग पाये जाने पर जुर्माना एवं सीलिंग की कार्यवाही की जाती है। पेठा व्यवसायी के द्वारा सील खोलने का अनुरोध किये जाने पर पेठा व्यवसायी से इस आशय का एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जाता है कि उसके द्वारा वांछित स्थल पर पेठे का निर्माण नहीं किया जायेगा बल्कि कालिन्दी विहार योजना में ही पेठे का निर्माण किया जायेगा। उसके पश्चात् सील खोली जाती है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि जिन पेठा व्यवसायियों के द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर सील खुलवाये जाने का अनुरोध किया जाता है, उन पेठा व्यवसायियों के उस स्थल, जहॉं पेठा कारखाना स्थल पर कोयले का प्रयोग पाये जाने पर सीलिंग की कार्यवाही की गयी है, पर पेठा व्यवसायियों के द्वारा किये जाने वाले वैकल्पिक कार्य का ब्यौरा भी शपथ–पत्र में लिखा जाये कि उस स्थल पर पेठा व्यवसायी कौन–सा कार्य करेगा। ऐसा न हो कि सील खोलने के उपरान्त पेठा व्यवसायी के द्वारा उस स्थल पर पुनः पेठा उत्पादन में कोयले का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जाये। उक्त के अतिरिक्त सील खोलने में अन्यथा जो भी विधिक प्रक्रिया स्थापित हो, उसका पालन सुनिश्चित

Scanned with OKEN Scanner

किया जाये। गठित टीम, जिसके नोडल अधिकारी ए0सी0एम0 नामित हैं, के द्वारा अन्य स्थलों के साथ-साथ ऐसे स्थलों का भी औचक निरीक्षण किया जाये, जिन स्थलों पर सील खोली गयी हैं। ए0सी0एम0 (नोडल अधिकारी) के नेतृत्व में गठित टीम का यह उत्तरदायित्व है कि पेठा उत्पादन में किसी भी स्थिति में कोल/कोक का प्रयोग न हो। इसी प्रकार तहसीलों में एस0डी0एम0 का यह दायित्व है कि पेठा इकाइयों द्वारा पेठा उत्पादन में कोल/कोक/लैदर/लकड़ी का प्रयोग न हो। इन टीमों द्वारा पेठा उत्पादन में कोयला जलाने वालों के लिये अभिसूचना तंत्र विकसित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी(नगर)/एस0डी0एम0)

जिलाधिकारी, आगरा के द्वारा ओ0डी0ओ0पी0/अन्य उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत पेठा उत्पादन से जुड़े कामगीरों को गैस से पेठा बनाये जाने के सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं सेन्सिटाइज किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, आगरा)

उ0प्र0 जल निगम के द्वारा कालिन्दी विहार योजना में गंगाजल की आपूर्ति के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु तैयार की गयी रू0 667.30 करोड़ की लागत की परियोजना को अमृत योजना के अगले चरण (ट्रंच) में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा उक्त परियोजना की शीघ्र स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को पुनः पत्र प्रेषित किया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबंधक, वि0बैं0इ0-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम/नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा)

(3) <u>ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत कोल डिपोस के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में</u>-
संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी 48 कोल/कोक विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 15 फर्में बन्द पायी गयीं, 04 फर्मों में कोयले का प्रयोग होता नहीं पाया गया, 05 फर्में केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही उनके स्तर से किया जाना सम्भव नहीं है। 12 फर्मों के जी0एस0टी0 पंजीयन निरस्त किये गये हैं, 02 फर्में जी0एस0टी0 में पंजीकृत नहीं पायी गयी हैं तथा 02 फर्मों के पते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जाँच के समय अपूर्ण पाये गये हैं। सूची में शेष 08 कोल/कोक व्यापारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपायुक्त, वाणिज्य कर, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद फिरोजाबाद में कुल 06 कोल डिपो डीलर्स हैं, जिसमें से 03 डीलर्स बाहर से कोयला लाते हैं तथा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र से बाहर विक्रय कर देते हैं, ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में विक्रय नहीं करते हैं, इन डीलर्स के कोई गोदाम आदि नहीं हैं अपितु यह डीलर्स कोयला वाहनों में लाते हैं तथा वाहनों से ही विक्रय कर देते हैं। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के निर्देशानुक्रम में दिनांक 21.04.2022 को 02 डीलर्स/कोल डिपो स्वामी मै0सुनील कोल डिपो एवं मै0अमित कोल डिपो का फिरोजाबाद नगर निगम एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के समय कोल बिक्री के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन नहीं किये जाने पर दोनों कोल डीलर्स को नोटिस जारी किये गये हैं। उपायुक्त, वाणिज्य कर, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मथुरा में कुल 32 कोल डिपो पंजीकृत हैं, जिसमें 18 व्यापारी कोसी व मथुरा के हैं, जिनके द्वारा अभी ट्रेडिंग नहीं की जा रही है। कुल 32 कोल डिपो में ईंट भट्ठे भी सम्मिलित हैं लेकिन यह ईंट भट्ठे ताज ट्रैपेजियम एरिया में स्थापित नहीं हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि शेष चिन्हित 48 कोल/कोक डिपो स्वामियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों (1-मै0आर0के0 कोल ट्रेडर्स, न्यू सीतानगर, लिंक रोड, नुनिहाई, आगरा 2-मै0बालाजी ट्रेडर्स, 13/129, नुनिहाई, आगरा, 3-मै0ए0एन0 ट्रेडर्स, 13/129, बी0 नुनिहाई, आगरा, 4-मै0सोहनलाल कोल डिपो, 15/549, काली बाड़ी, नूरी गेट, आगरा, 5-मै0बी0के0 कोल ट्रेडर्स, 5/406, नाला कंसखार, आगरा, 6-मै0जय शिवशंकर कोल डिपो, नूरी गेट, आगरा, 7-मै0कैलाश चन्द विजय कुमार कोल डिपो, प्रभू टाकिज के पीछे, जगदीशपुरा, आगरा, 8-मै0पूरन चन्द अग्रवाल, 35/623, नौबस्ता, लोहामण्डी, आगरा, 9-मै0भल्ली कोल इण्टरप्राईजेज, पुल छिंगा मोदी, लोहामण्डी, आगरा, 10-मै0हरनारायण कोल सप्लायर, 26/178, अहीरपाड़ा, राजामण्डी, आगरा, 11-मै0आदमपुरिया मेटल कम्पनी,

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 10.08.2022 को मध्याह्न 12.00 बजे मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न "ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" की 57वीं सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगणों/अधिकारियों/विशिष्ट आमंत्रियों के स्वागतोपरान्त "ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" की 57वीं बोर्ड बैठक आरम्भ की गयी। बैठक की उपस्थिति संलग्नक–1 पर संलग्न है।

एजेण्डा बिन्दु सं0–1

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

'प्राधिकरण' की गत सम्पन्न 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0–2

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 56वीं बैठक दिनांक 25.04.2022 की अनुपालन आख्या–'प्राधिकरण' की गत 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2022 के निर्णयानुक्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत अनुपालनीय कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा से पूर्व 'ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' के पुनर्गठन के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र सं0–489(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003 में उल्लिखित शक्तियों/दायित्वों पर सूक्ष्म प्रकाश डाला गया। विभिन्न बिन्दुओं/प्रकरणों तथा प्रस्तावों पर बैठक में विचार–विमर्श उपरान्त टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये–

अन्य बिन्दु–

(1) प्लास्टिक/पोलीथीन के निस्तारण के सम्बन्ध में–सहायक आयुक्त (खाद्य), आगरा मण्डल, आगरा (सहायक नोडल अधिकारी) द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों तथा वर्तमान आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण से परिलक्षित होता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही पूर्व में की गयी कार्यवाही की अपेक्षा संतोषजनक है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा, जो कि नोडल अधिकारी नामित हैं, के द्वारा सम्बन्धित विभागों से निर्धारित प्रारूप पर जो सूचनायें प्राप्त की जायें, उसका भलीभाँति परीक्षण कर लिया जाये कि सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनायें पूर्व प्रस्तुत अवधि के अनुरूप है अथवा नहीं। तत्पश्चात् उनको निर्धारित प्रारूप पर ध्यानपूर्वक संकलित किया जाये ताकि पूर्व अवधि तथा वर्तमान अवधि तक कृत कार्यवाही की सुगमता से तुलना की जा सके। नगर आयुक्त, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें प्रेषित करने से पूर्व आंकड़ों का स्वयं अपने स्तर से भलीभांति परीक्षण करने के पश्चात् ही सम्बन्धित को सूचनायें प्रेषित की जायें। अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें (आंकड़े) टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को समय से उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही–समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत/अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल)

(2) पेठा इकाइयों के स्थानान्तरण एवं पेठा इकाइयों में कोल/कोक के उपयोग पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में–जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, आगरा विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित थानों के पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम द्वारा लगातार कोयले से संचालित पेठा कारखानों/भट्टीयों की सीलिंग/ध्वस्तीकरण एवं जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही की जा रही है। अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम) द्वारा शहरी क्षेत्र में 06 पेठा निर्माण इकाई व 01 औद्योगिक इकाई (चांदी गलाने हेतु) एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील खेरागढ़ में 03 एवं फतेहाबाद में 03 सहित कुल 13 इकाईयों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करायी गयी है। निरीक्षण के समय 04 इकाईयों में पेठा उत्पादन में कोयले का प्रयोग पाये जाने पर मौके पर गठित संयुक्त टीम द्वारा सील करने की कार्यवाही की गयी। साथ ही नगर निगम की टीम द्वारा रू0 25000–25000 का जुर्माना किया गया है। जिन पेठा व्यवसायियों के द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर सील खुलवाये जाने का अनुरोध किया जाता है, उन पेठा व्यवसायियों से उनके द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक कार्य का पूर्ण ब्यौरा शपथ–पत्र में अंकित कराये जाने के उपरान्त ही सील खोली जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

श्री एफ0सी0 मुखर्जी, महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय पेठा व्यवसायियों के स्थल अत्यन्त संकरी गलियों में स्थित हैं, जहाँ ग्रीन गैस लि0 द्वारा गैस की आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि पेठा उत्पादन में किसी भी स्थिति में कोल/कोक का प्रयोग न हो। इसी प्रकार तहसीलों में एस0डी0एम0 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाये कि पेठा इकाइयों द्वारा पेठा उत्पादन में कोल/कोक/लैदर/लकड़ी का प्रयोग न हो। कृत कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही– जिलाधिकारी/ए0डी0एम0(सिटी)/समस्त एस0डी0एम0,आगरा)

पेठा उत्पादन में कोल/कोक का प्रयोग पाये जाने पर अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं नगर निगम द्वारा सम्बन्धित पेठा व्यवसायी के विरूद्ध जुर्माना/सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सम्बन्धित पुलिस थाना में दर्ज करायी जाये। पेठा उत्पादन में कोल/कोक का प्रकरण संज्ञान में आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह जॉच करायी जाये कि उक्त पेठा व्यवसायी को कोयला किस कोल डिपो से प्राप्त हो रहा है। जी0एस0टी0 विभाग द्वारा भी पेठा व्यवसायी को हो रही कोल की आपूर्ति के सम्बन्ध में बैकग्राउण्ड चैक कराया जाये।

(कार्यवाही–ए0डी0एम0(सिटी)/नगर निगम/एस0एस0पी0/जी0एस0टी0, आगरा)

उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा के द्वारा पेठा व्यवसाय को 'ओ0डी0ओ0पी0' योजना में सम्मिलित कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाये। गैस के उपयोग के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्र, नगर निगम एवं ग्रीन गैस लि0 आगरा द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के नेतृत्व में वांछित प्रक्रिया/कार्यवाही करायी जायेगी। इस प्रकरण में प्रक्रिया एवं उत्पादन विकास केन्द्र (पी.पी.डी.सी.), आगरा का भी वांछित सहयोग प्राप्त किया जाये। इस सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उपायुक्त द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को आवश्यक पत्र भी अधोहस्ताक्षरी के स्तर से जारी कराया जाये। उपायुक्त द्वारा अगली बैठक से पूर्व पेठा उत्पादन से जुड़े कामगीरों को गैस से पेठा बनाये जाने के सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं सेन्सिटाइज किया जाये।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत समस्त जनपदों में वर्तमान में प्रचलित गैस की दरों के आंकड़े क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा)

चूंकि उ0प्र0 जल निगम के द्वारा कालिन्दी विहार योजना में गंगाजल की आपूर्ति के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु तैयार की गयी रू0 667.30 करोड़ की लागत की परियोजना को अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त किये जाने के प्रकरण में उ0प्र0 जल निगम के द्वारा शासन को पत्र प्रेषित करा दिया गया है तथा स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रगतिमान है, अतएव् उ0प्र0 जल निगम के इस प्रस्तर/बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही–टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

<u>(3) ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत कोल डिपोस के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में–</u>
संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के द्वारा 48 कोल/कोक व्यापारियों की प्राप्त सूची में वर्णित 04 फर्मों में कोयले का प्रयोग होता नहीं पाया गया। 05 फर्म केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, केन्द्रीय विभाग को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के निर्णय से सूचित कर दिया गया है, अभी तक उनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं करायी गयी है। 02 फर्मों को रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है। 02 फर्मे जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं पायी गयी तथा 02 फर्मों के पते अपूर्ण थे। 13 पंजीयन निरस्त किये गये हैं एवं 03 निलम्बित किये गये हैं। शेष 04 मामलों में कार्यवाही जारी है। अग्रेतर, गत बैठक के निर्देशानुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी 15 कोल/कोक इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 09 फर्म–(1)मै0बजरंग कोल ट्रेडर्स, मोती कटरा पुलिस चौकी खिड़की काले खाँ, आगरा (2)मै0किशोरी लाल कोल डिपो, रूई की मण्डी, शाहगंज, आगरा (3)मै0दिनेश कोल डिपो, 6/176 फाटक सूरजभान, बेलनगंज, आगरा

Scanned with OKEN Scanner

पेठा इकाईयों को गैस उपयोग के सम्बन्ध में दिनांक 22.11.2022 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त

दि0 10.08.2022 को मण्डलायुक्त / अध्यक्ष महोदय, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न "ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की 57वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या–701 / TTZ(PMU)/56वीं बैठक / TTZ/22, दि0 16.09.2022 में निर्देश दिये गये है कि "उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा के द्वारा पेठा व्यवसाय को "ओ0डी0ओ0पी0" योजना में सम्मिलित कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाये। गैस के उपयोग के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्र, नगर निगम एवं ग्रीन गैस लि0, आगरा द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के नेतृत्व में वांछित प्रक्रिया / कार्यवाही करायी जायेगी। इस प्रकरण में प्रक्रिया एवं उत्पादन विकास केन्द्र (पी.पी.डी.सी.), आगरा का भी वांछित सहयोग प्राप्त किया जाये। इस सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उपायुक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को आवश्यक पत्र भी अधोहस्ताक्षरी के स्तर से जारी कराया जाये। उपायुक्त द्वारा अगली बैठक से पूर्व पेठा उत्पादन से जुड़े कामगारों को गैस से पेठा बनाये जाने के सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं सेन्सिटाइज किया जाये।"

उक्त के अनुपालन में पेठा उद्योग में गैस उपयोग के सम्बन्ध में सिटी मजिस्ट्रेट, आगरा की अध्यक्षता में दि0 22.11.2022 को अपरान्हः 03:00 बजे कलैक्ट्रेट सभाकक्ष, आगरा में एक बैठक आहुत की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री आनन्द कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, आगरा।
2. श्री सुरेन्द्र यादव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. श्री अनुज कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
4. श्री सचिन राजपाल, निदेशक, पी.पी.डी.सी., आगरा।
5. श्री विश्वनाथ शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
6. श्री किशन सिंह, मैनेजर (मार्केटिंग), ग्रीन गैस लि0, आगरा।

सर्वप्रथम संयुक्त आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा द्वारा बैठक में प्रतिभागी अधिकारियों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

संयुक्त आयुक्त उद्योग, आगरा द्वारा बैठक में उपस्थित श्री किशन सिंह, मैनेजर (मार्केटिंग), ग्रीन गैस लि0, आगरा से जानकारी चाही गई कि जनपद–आगरा में पेठा उद्योग हेतु किन–किन स्थानों पर ग्रीन गैस की लाइन पड़ी हुई हैं, जिसमें श्री किशन सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि नूरी दरवाजा, राजा मण्डी में संकरी गलियों को छोड़कर आसपास ग्रीन गैस की लाइने बिछी हुई हैं। पूर्व में 30 पेठा इकाईयों द्वारा गैस कनेक्शन हेतु आवेदन कर शुल्क भी जमा कराया गया था, परन्तु किन्हीं करणोंवश धीरे–धीरे उद्यमियों द्वारा अपना आवेदन शुल्क वापस ले लिया गया। वर्तमान में लगभग 04–05 पेठा इकाईयों द्वारा ही गैस कनेक्शन से पेठा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। उक्त पर अध्यक्ष महोदय द्वारा मैनेजर (मार्केटिंग), ग्रीन गैस लि0, आगरा को निर्देश दिये गये कि गैस कनेक्शन हेतु

आवेदन करने वाले पेठा उद्यमियों की सूची तथा वर्तमान में गैस से संचालित पेठा इकाईयों का विवरण कार्यालय, संयुक्त आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा को उपलब्ध करा दें तथा बिना नगर निगम, आगरा व कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा की अनुमति के किसी पेठा इकाई का आवेदन शुल्क वापस न किया जाये, साथ ही निर्णय लिया गया कि शेष ऐसी पेठा उत्पादन इकाईयों जिनके द्वारा गैस कनेक्शन हेतु आवेदन तो किया गया है परन्तु गैस से पेठा उत्पादन का कार्य नहीं किया जा रहा है को नगर निगम व सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे कि पेठा उत्पादन में इकाईयों द्वारा गैस का प्रयोग किया जाये।

प्रकरण पर संयुक्त आयुक्त उद्योग, आगरा द्वारा बैठक में अवगत कराया कि उक्त सम्बन्ध में दि0 19.11.2022 को एक बैठक में पूर्व में कराई जा चुकी है। उक्त बैठक में उपस्थित श्री राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, शहीद भगत सिंह पेठा कुटीर एसोसियेशन, आगरा से जानकारी चाही गई कि किन कारणोंवश पेठा इकाईयों द्वारा गैस कनेक्शन प्राप्त कर इकाईयाँ संचालित नहीं की जा पा रही हैं, जिसपर श्री राजेश अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में ग्रीन गैस, कोयले की अपेक्षा मंहगी पड़ती है, यदि इकाईयों द्वारा गैस का उपयोग करके पेठा उत्पादन किया जाता है, तो टी0टी0जेड0 प्राधिकरण क्षेत्र से कोयले से तैयार होने वाले पेठा की कीमतों में भारी अन्तर आयेगा, जिससे जनपद–आगरा के पेठा अन्य स्थानों के पेठा से प्रतियोगिता में पिछड़ जायेगा। उक्त स्थिति वर्तमान में उत्पन्न हो रही है, जनपद–आगरा में कोयले से पेठा तैयार करने पर रोक होने व गैस का उपयोग करने से पेठा की कीमतों पर प्रभाव पड़ने के कारण जनपद–आगरा में पेठा व्यवसाय समाप्ति की ओर चल रहा है। उक्त पर जनपद–आगरा में पेठा व्यवसाय के बचाव हेतु श्री राजेश अग्रवाल से सुझाव चाहे जाने पर उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि जनपद–आगरा में अन्य प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों की भांति पेठा उद्योग को भी गैल गैस लि0 से सब्सिडी वाली गैस दिलाई, जाये तथा पेठा उत्पादन में गैस खपत कम करने हेतु गैस भट्टी निर्माण में तकनीकी अध्ययन कराया जाये।

उक्त पर अध्यक्ष महोदय द्वारा पेठा उत्पादन में गैस खपत कम करने हेतु गैस भट्टी निर्माण में तकनीकी अध्ययन कराये जाने हेतु बैठक में उपस्थित श्री सचिन राजपाल, निदेशक, पी.पी.डी. सी., आगरा व श्री किशन सिंह, मैनेजर (मार्केटिंग), ग्रीन गैस लि0, आगरा को निर्देश दिये जाने के साथ ही प्रशासन स्तर से कार्यवाही कर बन्द कराई गई पेठा इकाईयों का विवरण कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा को उपलब्ध कराये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः–पीपीडीसी/ग्रीन गैस लि0/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।)

अंत में संयुक्त आयुक्त उद्योग, आगरा द्वारा सभी का धन्यवाद करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

(अनुज कुमार)
संयुक्त आयुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
आगरा।

(आनन्द कुमार सिंह)
सिटी मजिस्ट्रेट
आगरा।

कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।

पत्रांक 4911-15 /जि0उ0एवंउ0प्रो0के0/आगरा/टी0टी0जैड0 प्रा0/2022-23/दि0:- 02-12-22

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
3. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण/सदस्य संयोजक महोदय, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा।
4. संयुक्त आयुक्त उद्योग, आगरा मण्डल, आगरा।
5. बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त अधिकारीगण

2/12/2022

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
आगरा।

Annexure-2

नरेश पाल गंगवार, आई.ए.एस
Naresh Pal Gangwar, IAS

सत्यमेव जयते

अपर सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ADDITIONAL SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
AND CLIMATE CHANGE

D.O. No. Z-16011/02/2020-CPA
Dated: August, 2023

Dear smt. Hemalata Diwakar ji,

As you are aware that Ministry of Environment, Forest & Climate Change has issued guidelines for Ranking of Cities (Swachh Vayu Sarvekshan) under National Clean Air Programme (NCAP) vide letter dated 10th August 2022 for selecting best performing cities for taking air quality improvement measures in their Cities. All 131 cities have been requested to submit the self-assessment reports for FY 2023-24. Based on the self-assessment reports submitted by 131 cities, Central Pollution Control Board (CPCB) has conducted the evaluation of these cities reports in line with the guidelines of Swachh Vayu Sarvekshan. Accordingly, the following cities have been selected as best performing cities under three categories for FY 2023-24.

Category		Cities	Score out of 200
Category 1 (>10 lakh population)	1st	Indore	187
	2nd	Agra	186
	3rd	Thane	185.2
Category 2 (3-10 lakh population)	1st	Amravati	194
	2nd	Moradabad	186.2
	3rd	Guntur	185.5
Category 3 (<3 lakh population)	1st	Parwanoo	193.6
	2nd	Kala Amb	193
	3rd	Angul	187.5

2. In this regard, your city will be felicitated with cash award by the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change and Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh during Swachh Vayu Diwas 2023 scheduled to be held on 7th September at Kushabhau Thakre Hall - International Convention Center in Bhopal, Madhya Pradesh.

3. In view of the above it is requested to attend the Swachh Vayu Diwas 2023 to receive the cash award on behalf of your city.

Yours sincerely,

Best wishes

(Naresh Pal Gangwar)

Smt. Hemalata Diwakar
Mayor
Agra
Agra Nagar Nigam
Near Soorsadan, M.G. Road,
Sanjay Place, Agra – 282002

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
नई दिल्ली–110 003
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD,
NEW DELHI-110 003
Website : moef.nic.in

Dr. Prashant Gargava
Director, NCAP

D.O. No. Z-16011/02/2020-CPA
Dated: 03rd September, 2024

Dear Shri Khandelwal,

As you are aware that Ministry of Environment, Forest & Climate Change issued guidelines for Ranking of Cities (Swachh Vayu Survekshan) under National Clean Air Programme (NCAP) vide letter dated 10th August 2022 for selecting best performing cities for air quality improvement measures. All 131 cities have submitted the self-assessment reports for FY 2023-24 which were evaluated by Central Pollution Control Board (CPCB) in line with the guidelines of Swachh Vayu Survekshan.

2. Based on the evaluation carried out for 131 cities, Agra city has been selected as one of the best performing cities and ranked third in the population category-1 (more than 10 lakh) under Swachh Vayu Survekshan,2024.

3. In this regard, Agra will be felicitated with cash award by the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change and Hon'ble Chief Minister of Rajasthan during Swachh Vayu Diwas 2024 scheduled to be held on 7th September, 2024 at Jaipur Exhibition and Convention Centre in Jaipur, Rajasthan.

4. I extend cordial invitation to join the Swachh Vayu Diwas, 2024 along with Hon'ble Mayor to receive the cash award on behalf of your city.

With regards

Yours sincerely,

(Prashant Gargava)

Shri Ankit Khandelwal
Municipal Commissioner
Agra Nagar Nigam
Near Soorsadan, M.G. Road,
Sanjay Place, Agra – 282002, Uttar Pradesh

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्याः 391 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18 दिनांकः 17 /07/2018

1— जिलाधिकारी, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़ (उ0प्र0) एवं भरतपुर, धौलपुर(राज0)।
2— पुलिस अधीक्षक, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़(उ0प्र0) एवं भरतपुर, धौलपुर(राज0)।

विषय— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में कोयला / कोक / लकड़ी / उपला का उपयोग रोके जाने हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381 / 1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु निम्न आदेश जारी किये गये हैं–

> **"Those industries which neither apply for gas connections nor for alternative industrial plot shall stop functioning with the aid of coke/coal in the TTZ with effect from 30-4-1997. Supply of coke/coal to these industries shall be stopped forthwith. The District Magistrate and the Superintendent of Police shall have this order complied with."**

मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त लकड़ी / उपला आदि प्रदूषणकारी ईंधनों का प्रयोग भी ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में संचालित समस्त प्रकार की इकाइयों में प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित सभी प्रकार की वायु प्रदूषणकारी इकाइयों, आदि में कोयला / कोक / लकड़ी / उपला के प्रयोग पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध सुनिश्चित कराया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर दिनांक 19.7.2018 की सायं तक अनुपालन आख्या टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को उपलब्ध करायें।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि–

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

जनपद आगरा में कोल/कोक/लकड़ी/लैदर कटिंग से पेठा उत्पादन किये जाने के कारण सील की गयी पेठा इकाईयों की सूची।

क्र0 सं0	सील की गयी पेठा इकाई का नाम व पता	उपजिलाधिकारी/अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही	सील किये जाने का दिनांक	सील मुक्त किये जाने का दिनांक
1.	श्री सुनील पाठक की पेठा इकाई, नन्दी बाबा वाली गली, नियर चित्रा टॉकीज, आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(पंचम)	24.05.2022	24.06.2022
2.	श्री रूपेन्द्र की पेठा इकाई, 16/3ए, शीतला गली, आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(पंचम)	24.05.2022	24.06.2022
3.	श्री मोनू अग्रवाल पुत्र नेमीचन्द्र अग्रवाल की पेठा इकाई, 15/182 विपिन बाबू वाली गली, आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(पंचम)	23.07.2022	17.10.2022
4.	श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद की पेठा इकाई, 15/427 नूरी गेट, आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(पंचम)	17.12.2022	
5.	श्री सीताराम पेठा, शीतला गली, नूरी दरवाजा, आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(पंचम)	06.05.2023	
6.	श्री उमेश चन्द्र मंगल पुत्र श्री बद्री प्रसाद, भगत सिंह मूर्ति के पास, नूरी गेट, आगरा। (वायर ड्रायंग वर्क्स सीलिंग)	अपर नगर मजिस्ट्रेट(पंचम)	18.05.2023	
7.	श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री साहब सिंह की पेठा इकाई, नगरिया धीरू, मौजा–मेवली कॅला, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	11.04.2022	29.06.2022
8.	श्री सत्यभान सिंह पुत्र श्री रामदास की पेठा इकाई, नगरिया रामकरन, मौजा–मेवली कॅला, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	11.04.2022	
9.	श्री निरोत्तम सिंह की पेठा इकाई, गॉव–वॉगुरी, शमशाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	30.06.2022	16.07.2022
10.	श्री कृष्ण पुत्र श्री डोंगर सिंह की पेठा इकाई, नगला बेहड़, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	01.07.2022	15.07.2022
11.	श्री सोबरन सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह की पेठा इकाई, नगला बेहड़, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
12.	श्री हरि सिंह पुत्र श्री डोंगर सिंह की पेठा इकाई, नगला बेहड़, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
13.	श्री कृष्ण पुत्र श्री डोंगर सिंह की पेठा इकाई, नगला बेहड़, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
14.	श्री राधेलाल पुत्र श्री नत्थीलाल की पेठा इकाई, नगरिया रामकरन, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
15.	श्री देवीराम पुत्र श्री गेंदालाल की पेठा इकाई, नगरिया रामकरन, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
16.	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री कालीचरन की पेठा इकाई, नगरिया रामकरन, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
17.	श्री वीरी सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह की पेठा इकाई, नगरिया रामकरन, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
18.	श्री विष्णु पुत्र श्री कप्तान सिंह की पेठा इकाई, नगरिया रामकरन, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	

19.	श्री रामदास पुत्र श्री चंदन सिंह की पेठा इकाई, नगरिया रामकरन, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
20.	श्री संजय पुत्र श्री रामसनेही की पेठा इकाई, नगरिया रामकरन, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
21.	श्री विष्णु पुत्र श्री भूदेव सिंह की पेठा इकाई, नगरिया रामकरन, डौकी, फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	02.11.2022	
22.	श्री सुभाष पुत्र श्री कैलाश चंद की पेठा इकाई, फतेहाबाद देहांत, निकट तहसील बाह रोड, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	05.11.2022	
23.	श्री पोप सिंह पुत्र श्री कमल सिंह की पेठा इकाई, ग्राम चाचीपुरा, खंडेर, तहसील फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	05.11.2022	
24.	श्रीपाल (नरायण सिंह) की पेठा इकाई, चाचीपुरा, खंडेर, तहसील फतेहाबाद, आगरा।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	05.11.2022	
25.	वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाखी राम, गढ़ीताल, ग्राम–पंचायत महाराजपुर, तहसील–फतेहाबाद।	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	04.10.2023	
26.	श्री उत्तम पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, पेठा इकाई, नगलाधीर शमशाबाद, आगरा (कतरन भट्ठी ध्वस्तीकरण–02 इकाई)	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	08.11.2023	
27.	श्री विजय शर्मा, पेठा इकाई, नगलाधीर शमशाबाद, आगरा (कतरन भट्ठी ध्वस्तीकरण)	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	08.11.2023	
28.	श्री रामवीर शर्मा, पेठा इकाई, नगलाधीर शमशाबाद, आगरा (कतरन भट्ठी ध्वस्तीकरण)	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	08.11.2023	
29.	श्री हरी शर्मा, पेठा इकाई, नगलाधीर शमशाबाद, आगरा (कतरन भट्ठी ध्वस्तीकरण)	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	08.11.2023	
30.	श्री ओमप्रकाश (नीलम), पेठा इकाई, नया बांस, शमशाबाद, आगरा (कतरन भट्ठी ध्वस्तीकरण)	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	08.11.2023	
31.	श्री रामू, गुलबापुरा, मौजा–सिकतरा आगरा (कतरन भट्ठी ध्वस्तीकरण)	उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद)	08.11.2023	
32.	श्री जयवीर की पेठा इकाई, राजपुर चुंगी, छोटा उखर्रा, सेन्ट जीनियस स्कूल के पास, आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(चतुर्थ)	04.04.2022	
33.	श्री राजेन्द्र सिंह की पेठा इकाई, राजपुर चुंगी उखर्रा, आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(चतुर्थ)	04.04.2022	29.06.2022
34.	श्री महेश पुत्र श्री घमण्डीलाल की पेठा इकाई, किदवई पार्क, राजामण्डी, आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(तृतीय)	04.04.2022	
35.	श्री पवन कुमार की पेठा इकाई, गली रंगरेजान भारत सिनेमा के पीछे आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(तृतीय)	04.04.2022	
36.	श्री अतर सिंह की पेठा इकाई, गली रंगरेजान भारत सिनेमा के पीछे आगरा।	अपर नगर मजिस्ट्रेट(तृतीय)	04.04.2022	10.08.2022

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या 4541/ओएसडी   दिनांक 06-10-2022

अपर जिलाधिकारी (नगर),
आगरा।

दिनांक 10-08-2022 को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय, टी०टी०जेड० प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न "ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" की 57वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या 701/TTZ(PMU)/56वींबैठकTTZ/22 दिनांक 16-09-2022 का संदर्भ लें, जिसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि **"यह सुनिश्चित किया जाये कि पेठा उत्पादन में किसी भी स्थिति में कोल/कोक का प्रयोग न हो। इसी प्रकार तहसीलों में एस0डी0एम0 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाये कि पेठा इकाइयों द्वारा पेठा उत्पादन में कोल/कोक/लैदर/लकड़ी का प्रयोग न हो। कृत कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।"**

"पेठा उत्पादन में कोल/कोक का प्रयोग पाये जाने पर अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं नगर निगम द्वारा सम्बन्धित पेठा व्यवसायी के विरूद्ध जुर्माना/सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सम्बन्धित पुलिस थाना में दर्ज करायी जाये। पेठा उत्पादन में कोल/कोक का प्रकरण संज्ञान में आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह जॉच करायी जाये कि उक्त पेठा व्यवसायी को कोयला किस कोल डिपो से प्राप्त हो रहा है। जी0एस0टी0 विभाग द्वारा भी पेठा व्यवसायी को हो रही कोल की आपूर्ति के सम्बन्ध में बैकग्राउण्ड चैक कराया जाये।"

अतः ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की 57 वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता पर प्रभावी आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नकः- यथोक्त

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी,
आगरा।

संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त के संबंध में संबंधित अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा को इस आशय से उपरोक्त के संबंध में अपने स्तर से अधीनस्थ नगर निगम अधिकारियों को समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. अपर निदेशक, वाणिज्य कर(जी0एस0टी0), आगरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, आगरा।

जिलाधिकारी,
आगरा।

Annexure - 4

Gmail

RO Agra <roagra@uppcb.in>

Regarding power availability information for April to Sep 24 month in TPL area of operations

1 message

RajatK@torrentpower.com <RajatK@torrentpower.com>
To: roagra@uppcb.in
Cc: bhupendrasingh@torrentpower.com

Fri, Oct 11, 2024 at 10:51 AM

Dear Sir,

With reference to citied subject lines & in reference to instruction by your good office, we are enclosing the power availability report in TPL area of operation (Agra District) for last 06 Months; kindly find enclosed information.

Sr no	Month	Power Availability (HH:MM)
1	Apr-24	23:55
2	May-24	23:50
3	Jun-24	23:49
4	July-24	23:53
5	Aug-24	23:55
6	Sep-24	23:53

Regards,

Torrent Power Ltd.

Disclaimer : This email along with any attachments may contain confidential, proprietary or legally privileged information and is for the intended recipient only. Any other use of email, such as, unauthorized access, disclosure, copying, distribution or reliance on any contents of it by anyone else is prohibited and unlawful. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the email. Disclaimer : This email along with any attachments may contain confidential, proprietary or legally privileged information and is for the intended recipient only. Any other use of email, such as, unauthorized access, disclosure, copying, distribution or reliance on any contents of it by anyone else is prohibited and unlawful. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete the email.

Annexure-5

सहायक नगर आयुक्त महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0न0 455/2015 के क्रम में चाही गयी आख्या निम्नवत् है –

आगरा नगर निगम के अर्न्तगत कुल 100 वार्डो में से 04 टाटा एस टैम्पो एवं 01 टिपर (सूची संलग्न) के माध्यम से पेठा यूनिटों से निकलने वाले कुल औसतन प्रतिदिन 7500 किलो ग्राम पेठा वेस्ट में से 4300 किलोग्राम नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित नगर निगम आगरा द्वारा संचालित नरायच गौशाला एवं काजी हाउस, भगवान टाकीज के अतरिक्त कान्हा गौशाला बांईपुर, आगरा में निराश्रित पशुओं के चारा हेतु एवं शेष 3200 किलो ग्राम पेठा वेस्ट को कुबेरपुर प्रौसेसिंग प्लाट भेजा जाता है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

25/10/24

25/10/24

पेठा उठान हेतु वाहन

क्र0सं0	वाहन संख्या	चालक का नाम	मोबाइल न0	जोन
1	टिपर-0102	श्री हेत सिंह	8865986187	छत्ता
2	टैम्पो-1194	श्री बृजराज	8449225334	हरीपर्वत
3	टैम्पो-0837	श्री रितिक	8791168219	छत्ता
4	टैम्पो-1178	श्री सलमान	7217250688	छत्ता